

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

अलीगढ़ एवं लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2021

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कारिडोर परियोजना हेतु जनपद अलीगढ़ के राजस्व ग्राम अण्डला, हैवतपुर व करसुआ तथा जनपद लखनऊ में सरोजनीनगर में क्रय की जाने वाली भूमि की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-16824/यूपीडा/18/992 दिनांक 25.03.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054.सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कारिडोर परियोजना 60-भूमि क्रय" मद में से जिलाधिकारी, अलीगढ़ को ₹0 7.8702 करोड़ (₹0 सात करोड़ सत्तासी लाख दो हजार मात्र मात्र) तथा जिलाधिकारी, लखनऊ को ₹0 85.0680 करोड़ (₹0 पच्चासी करोड़ छः लाख अस्सी हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि विभागीय बचतों से संलग्न पुनर्विनियोग/प्रपत्र बी०एम०-9 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल स्वीकृत करने की सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं -

- (1) धनराशि आहरित करके जिलाधिकारीए अलीगढ़ तथा लखनऊ के डिपॉजिट खाते में जमा की जायेगी।
- (2) उक्त धनराशि का आहरण डिपॉजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
- (3) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाले धनराशि का औचित्यक प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्ते धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
- (5) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही हैए उसी मद में ही आवश्यक कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
- (6) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
- (7) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारीए अलीगढ़ तथा लखनऊ से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(8) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दि० 24.03.2020, शासनदेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दि० 07.04.2020, शासनदेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020, 18.05.2020 एवं 29.09.2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- 3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054.सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कार्रिडोर परियोजना 60-भूमि क्रय" के नामे डाला जायेगा तथा अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054.सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कार्रिडोर परियोजना 24-बृहद निर्माण कार्य" मद से वहन किया जायेगा।
4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/ बी-1-1.49/दस-2020-231/2020, दि० 24.03.2020 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-प्रपत्र बी0एम0-9

अवदीय,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-19/2021/812(1)/77-3-2021, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अलीगढ़ एवं लखनऊ।
5. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त ई-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
8. वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/नियोजन-4/गार्ड फाइल।

आशा से,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।

- 1- यह शासन/देश इलेक्ट्रानिकी की जा रही किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासन/देश की पत्राचारिका जिस माध्यम leharanandacharya@gmail.com से मालागिरी की जा सकती है।

फार्म बी0एम0-9(भाग-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भ बजट मैनुअल के प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या- 07

विभाग का नाम-औद्योगिक विकास विभाग

(धनराशि लाख रु0 में)

निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15-डिजिट कोड में)	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान / विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना 24 वृहद निर्माण कार्य (15 अंको का लेखाशीर्ष-5054033370824)	11414.18	11414.18	9293.82	9293.82	2120.36
योग :-	11414.18	11414.18	9293.82	9293.82	2120.36
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15-डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान / विनियोग (8+10)
7	8	9	10	11	12
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना 60 भूमि क्रय (15 अंको का लेखाशीर्ष-5054033370860)	00	9293.82	9293.82	9293.82	9293.82
योग :-	00	9293.82	9293.82	9293.82	9293.82

- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना-24 निर्माण कार्य में बचत सम्भावित है।
- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय का कारण-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना-24 वृहद निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना-60 भूमि क्रय में धनराशि उपलब्ध नहीं है।
- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151,154 व 156 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या -आर0ई0सं0 717/ई-6/2021 दिनांक 30.03.2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आनन्द कुमार सिंह

अनु सचिव

औद्योगिक विकास विभाग

नीलरतन कुमार

विशेष सचिव

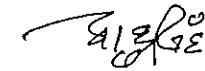
वित्त विभाग

संख्या -811(1) /77-3-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा।
2. जिलाधिकारी, अलीगढ़/लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, अलीगढ़/लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01 तीन प्रतियों में।
7. औद्योगिक विकास अनुभाग-3

आज्ञा से,



(आनन्द कुमार सिंह)
अनु सचिव